(1) पत्रावली संख्याः–01/2016/अपील

सहायक अभियन्ता 132 के.वी. जी.एस.एस. शाहपुरा रोड़ नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर जरिये प्राधिकृत अधिकारी सज्जन कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री किशोरीलाल गुप्ता जाति महाजन निवासी जी.एस.एस. कॉलोनी नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नीमकाथाना जिला सीकर
2 चैयरमैन, नगरपालिका नीमकाथाना जिला सीकर
3 तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर
4 रामगोपाल सैनी पुत्र श्री मंगलाराम सैनी जाति माली निवासी गणपति नगर, नीमकाथाना जिला सीकर
5 राजेन्द्रसिंह पुत्र रामोवतार सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 4 वीनस कॉलोनी, नीमकाथाना जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस

(2) पत्रावली संख्याः–02/2016/अपील

सहायक अभियन्ता 132 के.वी. जी.एस.एस. शाहपुरा रोड़ नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर जरिये प्राधिकृत अधिकारी सज्जन कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री किशोरीलाल गुप्ता जाति महाजन निवासी जी.एस.एस. कॉलोनी नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नीमकाथाना जिला सीकर
2 चैयरमैन, नगरपालिका नीमकाथाना जिला सीकर
3 तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर
4 रामगोपाल सैनी पुत्र श्री मंगलाराम सैनी जाति माली निवासी गणपति नगर, नीमकाथाना जिला सीकर
5 राजेन्द्रसिंह पुत्र रामोवतार सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 4 वीनस कॉलोनी, नीमकाथाना जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 42 दिनांक 04.12.2015 व नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 05.10.2015 बाबत ग्राम नीमकाथाना द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

वकील अपीलांट श्री सोहनलाल
वकील रेस्पोडेंट श्री मदनलाल शर्मा

निर्णय दिनांकः–23.01.2017

उपरोक्त दोनों अपीलों में पूर्णतः समानता होने के कारण इन्हे एक ही निर्णय से निर्णित किया जा रहा है।

उपरोक्त दोनों अपीलों का संक्षेप में सार यह है कि ग्राम नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना की तन में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 244 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.61 है0 व खसरा नम्बर 246 रकबा 0.11 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.76 है0 अपीलांट की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित है। उपरोक्त भूमियों के बाबत रेस्पो. संख्या 4 रामगोपाल सैनी व रेस्पो. संख्या 5 गजेन्द्रसिंह द्वारा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष एक वाद संख्या 97/2015 उनवानी रामगोपाल बनाम सहायक अभियन्ता 132 के.वी. जी.एस.एस. शाहपुरा रोड़ नीमकाथाना आदि बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद में अपीलांट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था। परन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा बिना दावा व जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना उक्त वाद में दिनांक 28.09.2015 को समस्त विधिक प्रकिया को ताक में रखते हुए निर्णय पारित कर दिया गया। जिसके बाबत अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

पटवारी हल्का द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.2015 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 05.10.2015 तस्दीक कर दिया गया एव उसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 42 दिनांक 04.12.2015 तस्दीक कर दिया गया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा पारित निर्णय का प्रभावी भाग निम्न प्रकार से है– "उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी बाबत दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि 132 के.वी. जी. एस.एस. नीमकाथाना के नाम दर्ज खातेदारी राजस्व ग्राम नीमकाथाना के भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 0.76 है0 जिसके नये खसरा नम्बर 244, 245, 246 किता 3 रकबा 0.76 है0 के स्थान पर 1 बीघा 10 बिस्वा दर्ज किया जावे। शेष रकबा चारागाह में दर्ज किया जावे। शेष रिकार्ड बदस्तूर रहेगा। उक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने के लिए निर्णय की प्रति के साथ तहरीर जारी की जावे।" योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.2015 में यह कतई अंकित नहीं है कि भूमि खसरा नम्बर 245 व 246 की मनमानी तरमीम करके नामान्तकरण दर्ज कर दिया जावे। जबकि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा खसरा नम्बर 245 व 246 के बट्टा नम्बर अंकित करते हुए नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया।

योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 05.10.2015 तस्दीक किये जाने के पश्चात रेस्पो. संख्या 1 व 2 के हक में विधि विरूद्व तरीके से नामान्तकरण संख्या 42 दिनांक 04.12.2015 आनन फानन में तस्दीक कर दिया गया। रेस्पो. संख्या 1 व 2 नामान्तकरण संख्या 42 दिनांक 04.12.2015 की आड़ में अपीलांट को ग्राम नीमकाथाना की तन में स्थित भूमि खसरा नम्बर 245/1 रकबा 0.37 है0 व खसरा नम्बर 246/1 रकबा 0.01 है0 पर बनायी गयी चार दिवारी को तोड़ने तथा उसमें रखा सामान उठाकर ले जाने के कम में रेस्पो. संख्या 1 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नीमकाथाना द्वारा दिनांक 29.12.2015 को एक नोटिस भी दिया जा चुका है। नामान्तकरण संख्या 42 उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 245/1, 246/1 का अंकन पूर्ववर्ती नामान्तकरण संख्या 35 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकित हुआ है। नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 05.10.2015 में अपीलांट पक्षकार है जबकि नामान्तकरण संख्या 42 दिनांक 04.12.2015 में अपीलांट पक्षकार नही है। इस प्रकार पूर्ववर्ती नामान्तकरण में वर्णित भूमियां अपीलांट की खातेदारी में दर्ज रही है।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। यह निर्विवाद है कि चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.09.2015 की पालना में दर्ज किया गया है। निर्णय दिनांक 28.09.2015 में राजस्व अभिलेख में हुई लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त करने का आदेश दिया गया है। अपीलांट का अपील मीमों मे भी यही कथन है कि वह उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 28.09.2015 से व्यथित है तथा इसकी अपील करने का इरादा रखता है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को चुनौति प्रदान के स्थान पर उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की पालना मे दर्ज किये गये नामान्तकरण को अपील के माध्यम से चुनौति देना विधि सम्मत नही है। अतः अपील इस आधार पर पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर